ले.प.प्रति.सं.-16/2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **निबंधक, फर्म्स, सोसाइटिस एवं चिट्स, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड़, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

निबंधक,फर्म्स, सोसाइटिस एवं चिट्स,देहरादून 07/2015 से 06/2018 तक के लेखा अभिलेखों की लेखा परीक्षा श्री ललित थपलियाल, श्री पवन कोठारी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री आनंद कुमार पांडेय, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 21.07.2018 से 25.07.2018 तक श्री नीरज च्रंगू, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

भाग-प्रथम

1- **<u>परिचयात्मक-</u>** इस कार्यालय की विगत लेखापरीक्षा श्री कुलदीप कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं सुश्री मानसी जैन, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा 24.07.2015 से 28.07.2015 तक श्री बी. डी. सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पन्न की गयी थी, जिसमे माह 09/12 से 06/15 तक के अभिलेखों की जांच की गयी।

वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 07/2015 से 06/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र- **समस्त उत्तराखंड**

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत् हैः-

(रू लाख में)

	प्रारम्भिकअवशेष		स्थापना		गैरस्थापना		आधिक्य(+)	बचत(-)
	स्थापना	गैरस्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2015-16	-	-	4.85	4.38	2.59	2.38	-	0.68
2016-17	-	-	6.60	4.24	2.67	2.52	-	2.51
2017-18	-	-	5.55	5.55	3.89	3.59	-	0.30
2018-19 (जून 2018 तक)	-	-	6.47	1.82	4.31	2.05	-	-

(ब) Autonomous Bodies विगत तीन वर्षों में बजट आवटन एवं व्यय की स्थितिः निरंक।

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् हैः- शून्य

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। गैरस्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुये इकाई "सी"श्रेणी की है।
विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः

निबंधक
उप निबंधक
सहायक निबंधक
प्रशासनिक अधिकारी

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **निबंधक, फर्म्स, सोसाइटिस एवं चिट्स, देहरादून** की लेखापरीक्षा में लेन-देन-कम-अनुपाल को आच्दादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **निबंधक, फर्म्स, सोसाइटिस एवं चिट्स, देहरादून** की लेखापरीखा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।
(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13 एवं 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखा परीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग- दो 'ब'</u>

<u>प्रस्तर:1-</u> GVR की कटौती न किया जाना ₹ 27,200।

उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या 84/xxvii(7)50(06)/2017 दिनांक 7/6/2017 के अनुसार प्रत्येक अधिकारी जिन्हे वाहन आवंटित है, को 200 km प्रतिमाह तक वाहन का निजी प्रयोग करने पर राजकीय कोष मे प्रतिमाह प्रतिवाहन के आधार पर कार के लिए ₹ 500 तथा जीप के लिए ₹ 400 जमा किया जाना सुनिश्चित किया गया था। राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उक्त आदेश के अंतर्गत राजकीय कोष मे जमा किए जाने वाले प्रतिमाह प्रतिवाहन की वर्तमान राशि मे वृद्धि करते हुए 1/5/2017 से प्रत्येक वाहन हेतु ₹ 2000 प्रतिमाह की राशि निश्चित कर दी जाए।

वेतन बिल पत्रवालियों की जांच में पाया गया कि श्री विशाल सिंह बिष्ट, उपनिबंधक के वेतन से जून 2017 में ₹ 400 की दर से GVR की कटौती की गयी है एवं जुलाई 2017 से जून 2018 तक कोई कटौती नहीं की गयी है। विवरण निम्नवत हैः-

अधिकारी का नाम	पदनाम	माह	वसूली गई धनराशि	अवशेष कटौती	कुल धनराशि
श्री विशाल सिहं बिष्ट	उपनिबंधक	05/2017 से 06/2017	400	1600*2	3200
श्री विशाल कुमार बिष्ट	उपनिबंधक	07/2017 से 06/2018	शून्य	2000*12	24000
				योग	27200

लेखापरीक्षा द्वारा ईकाई का ध्यान इस ओर आकृष्ट किए जाने पर उत्तर दिया गया कि विभागाध्यक्ष से मार्गदर्शन प्राप्त किए जाने पर कटौती के बारे में अग्रेतर कार्यवाही की जाएगी।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग दो 'ब'</u>

<u>प्रस्तर:2</u>- income tax के अंतर्गत अनियमित छूट प्रदान करना एवं सोसाइटी का नवीनीकरण करना।

1. Income tax 1961 के अनुच्छेद (15)2के अनुसार charitable purpose को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है :
    a. गरीबों की सहायता
    b. शिक्षा
    c. स्वास्थ्य संबंधी सहायता
    d. सामन्या सार्वजनिक सहायता प्रदान करना

Graphic Era Educational Society से संबन्धित अभिलेखों की जांच के दौरान पाया गया कि सोसाइटी द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 की income and expenditure account के schedule 13 में विद्यार्थियों की शिक्षा पर निम्नवत व्यय दर्शाया है:

S. N.	Particulars	Amount
1	Student's welfare prices and scholarship	270279114.00
2	Research and development expenses	122340148.62
Total		**392619262.62**

इसके अतिरिक्त schedule 15 में staff welfare and award to the faculties पर ₹ 8168805 का व्यय प्रदर्शित किया है।
इस प्रकार सोसाइटी द्वारा Charitable purpose हेतु कुल रू 400788067 का व्यय प्रदर्शित कर income tax act के अंतर्गत छूट प्राप्त की गयी। किन्तु उपरोक्त के संदर्भ में निम्नलिखित अभिलेख कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किए है:

1. List of beneficiaries who have been provided with scholarship, awards and on which research were carried out.
2. Audit notes/comments of CA
3. Receipt and Payment Statement

Graphic Era Educational Society द्वारा उपरोक्त दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किए गए इसके बावजूद सोसाइटी का नवीनीकरण कर दिया गया जो कि नियम विरुद्ध था। विभाग का ध्यान इस ओर आकृष्ट किए जाने पर उत्तर दिया गया कि सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत देय वांछित प्रपत्रों तथा फीस को प्राप्त करने के उपरांत ही सोसाइटी का नवीनीकरण एवं संशोधन किया गया है, एवं सोसाइटी से उपरोक्त प्रपत्रों को प्राप्त करने हेतु कारवाई की जाएगी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कार्यालय द्वारा उपरोक्त दस्तावेजों के अभाव में ही सोसाइटी का नवीनीकरण कर दिया गया जो कि नियम विरुद्ध था।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

<u>प्रस्तर1-:</u> निष्प्रयोज्य वाहन की नीलामी नही किया जाना।

सामान्य वित्तीय नियम 2005 के नियम 196, तथा 197 निष्प्रयोज्य वस्तुओं के disposal से संबन्धित हैं। इन नियमों में निष्प्रयोज्य वस्तुओं को dispose करने के संदर्भ में विभिन्न प्रक्रियाओं का वर्णन है।

कार्यालय की वाहन संबंधी पत्रावली की जाँच के दौरान पाया गया कि वाहन संख्या UA 07 H 7599 कार्यालय में निष्प्रयोज्य अवस्था में था , जिनका कुल खरीद मूल्य ₹3,71,254 था।

लेखापरीक्षा द्वारा इकाई का ध्यान इस ओर आकृष्ट किए जाने पर बताया गया कि वाहन की नीलामी संबंधी प्रक्रिया विचाराधीन है।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण-

निरीक्षणप्रतिवेदन संख्या	**भाग-2 'अ' प्रस्तरसंख्या**	**भाग-2 'ब' प्रस्तरसंख्या**	**STAN**
20/2015-16	-	4	-
16/2012-13	-	5	-

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः-

निरीक्षणप्रतिवेदन संख्या	**प्रस्तरसंख्या**	**अनुपालनआख्या**	**लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी**	**अभ्युक्ति**
20/2015-16	**4**	**महालेखाकार लेखापरीक्षा कार्यालय को पत्रांक 20/2015-16 दिनाँक 2/9/2015 के द्वारा प्रेषित की जा चुकी है**	**अनुपालन प्रस्तुत नहीं किया गया, अतः प्रस्तर यथावत रखे जाते हैं**	
16/2012-13	**5**			

भाग-IV

इकाई के सर्वोतमकार्यः-शून्य

भाग-V

आभार

1- कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड़, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **निबंधक, फर्म्स, सोसाइटिस एवं चिट्स, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः- **शून्य**

2- सतत् अनियमितायेः- शून्य

3- लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया-

क्र.सं.	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**	
			कब से	**कब तक**
1	श्री वी. एस. बिष्ट	उप निबंधक	1/12/15	वर्तमान तक

4. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा आहरण एवं वितरण अधिकारी का कार्यभार वहन किया गयाः-

क्र.सं.	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**	
			कब से	**कब तक**
1	श्री वी. एस. बिष्ट	उप निबंधक	1/12/15	वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **निबंधक,फर्म्स, सोसाइटिस एवं चिट्स, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/सामान्य क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

सामान्य क्षेत्र